

संख्या-28/02/18-प्रशासन
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
आई.एन.ए. नई दिल्ली-23
दिनांक .08.2018

विषय: केन्द्रीय सतर्कता आयोग में दिनांक 18.09.2018 को सांय 03.00 बजे से 05.00 बजे तक पेंशन अदालत का आयोजन।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन, नई दिल्ली-110023 में दिनांक 18.09.2018 को सांय 03.00 बजे से 05.00 बजे तक एक पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी/कर्मचारी अथवा संबंधित परिवार पेंशनभोगी/प्रतिनिधि अपनी समस्या, यदि कोई हो तो लिखित में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 24.08.2018 तक भेज सकते हैं:-

- क. पेंशनभोगी का नाम
- ख. पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी की जन्मतिथि तथा मृत्यु की तिथि
- ग. सेवानिवृत्ति के समय पेंशनभोगी का पद
- घ. पेंशन भुगतान आदेश [पीपीओ] की पूरी किताब
- ङ. सेवानिवृत्ति की तिथि/वर्ष
- च. पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी का पूरा डाक पता तथा मोबाइल/दूरभाष नम्बर
- छ. परिवार पेंशनभोगी/प्रतिनिधि का पहचान साक्ष्य [आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/बैंक पासबुक आदि]
- ज. पेंशन वितरण प्राधिकारी[बैंक] आदि का पूरा डाक पता

भवदीय



(टी.पी. शर्मा)

अवर सचिव[प्रशासन]

दूरभाष : 24651566



सत्यमेव जयते



Telegraphic Address :
"SATARKTA: New Delhi

E-Mail Address
cenvigil@nic.in

Website
www.cvc.nic.in

EPABX
24600200

फैक्स / Fax : 24651186

केन्द्रीय सतर्कता आयोग
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
Block A, INA, New Delhi-110023

सं. / No.....

28/02/18-Admn

दिनांक / Dated.....

14/08/2018

Sub: - Pension Adalat to be organised in the Central Vigilance Commission on 18/09/2018 at 03.00 PM to 05.00 PM regarding.

Sir/Madam,

In order to minimise grievance(s) pertaining to pension/family pension cases of officials/officers who retired from Central Vigilance Commission, a Pension Adalat will be organised in the Central Vigilance Commission, Satarkta Bhawan, New Delhi 110023, on 18/09/2018 at 03.00 PM to 05.00 PM.

2. Officers/officials [who retired from Central Vigilance Commission] or related family pensioners/representative, may forward their grievance(s), if any, [in writing] alongwith photocopies of following supporting document(s) to the undersigned by 24/08/2018:-

- (a) Name of pensioner
- (b) Date of Birth and Date of Death of pensioner/family pensioner
- (c) Designation of pensioner at the time of retirement
- (d) Complete Pension Payment Order [PPO] booklet
- (e) Date/Year of Retirement
- (f) Complete postal address and mobile/telephone number of pensioner/family pensioner.
- (h) Identity proof [Aadhar Card/Voter Card/Driving Licence/Bank passbook etc] of family pensioner/representative.
- (g) Complete postal address of pension disbursing authority [bank] etc.

Yours faithfully

(TP Sharma)

Under Secretary [Admn]

Tel: 011-24651566